नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

नोएडा दादरी रोड़, फेस–II

नोएडा – 201305

फा0सं.एनएसईजेडए / 13 / 2015 दिनांक 24 / 08 / 2015

निविदा आमंत्रित सूचना

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा एसईजेड प्राधिकरण जिसको पार्क, लॉन, बागवानी कार्य एवं सरकारी / अर्द्वसरकारी या व्यक्तिगत बस्ती / कंपनियों पार्कों के रखरखाव का 4 वर्ष से अधिक अनुभव है तथा 310 एकड़ भूमि में फैली हुई नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के केन्द्रीय / साईड वरजेस के रखरखाव के लिए पात्र कंपनी / फर्मों से ई–निविदाएं आमंत्रित करती है।

इच्छुक कंपनिया / फर्म जो नोएडा एसईजेड में बागवानी के रखरखाव कार्य में निपुण हो, वह अपने सभी विवरण जैसे वित्तीय कारोबार (पिछले 3 वर्षों के अंकेक्षित वित्तीय ब्यौरे), पिछले अनुभव (अनुभव प्रमाणपत्र), आवासीय पते का पमाणपत्र, पैन कार्ड इत्यादि निर्धारित मापांक ई–निविदा के माध्यम से वैबसाईट www.nsez.gov.in पर संलग्न कर सकते हैं।

क्रम सं.	कार्य परिधि	अग्रिम राशि
1.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में ररखरखाव, सौंदर्यीकरण एवं सभी पार्कों, केन्द्रीय और साईड वरजेस, सुरक्षा सड़के, कर्मचारियों के मकान, सभी एसडीएफ, ग्रीन–बैल्ट इत्यादि के अनुरक्षण हेतु। (घास, फूल, पेड़ इत्यादि की बागवानी और ररखरखाव। घास, पेड़ों और पौधों की नियमितितौर पर छटांई करना। जहॉ जरूरत हो वहां वनस्पतियां हटाना / भूमि की खुदाई / मिट्टी भराई, समतल इत्यादि करना। एक वर्ष में दो बार पौधों / पेड़ों पर उर्वरक / खाद और कीटनाशक डालना। घास, पौधों और पेड़ों की कटाई और छटांई करना। सजावटी प्रयोजनों के लिए हर समय 300 संख्या वाले पौधों के अतिरिक्त 150 सजावटी पौधे और 150 मौसमी फूलों वाले पौधे प्रशासनिक क्षेत्र की इच्छानुसार छः महीनों के आधार पर उपलब्ध करना।)	रूपये 2,00,000 / –

पात्रता मापदंडः–

1. अनुभवः– 4 वर्ष से अधिक और सरकार या सरकारी उपक्रमों द्वारा दो अनुबंधों बागवानी और ररखरखा से सम्मानित।
2. कारोबारः– बागवानी कार्यों से पिछले 3 वर्षों के दौरान रूपये 3 करोड़ का कारोबार।

नियम एवं शर्तेः—

1. ई—निविदाएं निर्धारित मापांक पर दो बोली प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित किया है (i) तकनीकी बोली (ii) वित्तीय बोली।
2. ईएमडी/वैट पंजीकरण/बिक्री कर निकासी/आयकर विवरणी, लेबर लाईसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, अग्रिम राशि इत्यादि की स्कैन की हुई कॉपी पात्रता मानदंड के समर्थन में अपलोड किया जाना चाहिए, विफल होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. सभी बोलीदाओं को निविदा खोलने के समय सभी दस्तावेजों के साथ, मूल में, समिति के समक्ष उपस्थिति अनिवार्य है, विफल होने पर भागीदारी पर रोक लगा दी जायेगी।
4. इस प्रस्ताव के लिए केवल 03 करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों/फर्मों की ही पात्रता होगी।
5. बोलीदाता अग्रिम राशि (ईएमडी) 2 लाख रूपये के डिमांड ड्राफ्ट फार्म में ''एनएसईजेड प्राधिकरण'' के पक्ष में नोएडा में देय, जमा कराना होगा।
6. निर्धारित तरीके से अपेक्षित अग्रिम राशि के साथ—साथ निविदा जमा न करने पर, सिरे से खारिज कर दिया जायेगा और उसका मूल्यांकन भी नहीं किया जायेगा।
7. एनएसईजेड प्राधिकरण में तैनात ठेकेदार या उसके इकाईयों के कर्मचारी/आगंतुकों/ आबंटितियों को असुविधा होने/परिणामस्वरूप अशांति होने में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक असुविधा उत्पन्न नहीं होने दी जायेगी। एनएसईजेड प्राधिकरण में ठेकेदार द्वारा तैनात अपने कर्मचारियों की ओर से इस तरह की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
8. यह (ठेका फर्म/कंपनी सहित) ठेकेदार के एकमात्र दायित्व प्राप्त करने के लिए और संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यकत लाइसेंस/अनुमति का पालन करने के लिए किया जायेगा बशर्ते जैसाकि ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवश्यक श्रम लाइसेंस सहित विभिन्न श्रम कानूनों के तहत प्रदान की गई है।
9. कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 सहित विभिन्न लागू कानूनों के तहत प्रदान ठेकेदार, दायित्वों का निर्वहन करेगा, ठेका श्रम अधिनियम, 1979 (सेवा शर्तों और रोजगार विनियमन), न्यूनतम मजदूरी 1948 अधिनियम, 1923 मजदूरी अधिनियम, 1936, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, का भुगतान और अन्य प्रासंगिक अधिनियम, नियम और विनियम समय—समय पर लागू किया जायेगा।
10. ठेकेदार के अनुबंध के संबंध में एनएसईजेड प्राधीकरण को निविदा सेवा के लिए कार्यरत कर्मियों हेतु पीएफ, पैंशन, ईएसआई या किसी अन्य वैधानिक भुगतान की दिशा में अपेक्षित योगदान के लिए जिम्मेदार होंगे और निर्धारित तिथि से पहले इन राशियों को जमा करेगें। ठेकेदार को कर्मचारियों और नियोक्ताओं के जमा किये गये अंशदान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
11. ठेकेदार अगले महीने की 7 तारीख तक उसके द्वारा तैनात कर्मियों को वेतन और अन्य बकाया राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे।
12. ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मियों की नियमित रूपसे और प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित करने और संविदात्मक दायित्वों के उपक्रम के लिए उपयुक्त दिशा—निर्देश देता रहेगा।
13. ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा।
14. ठेकेदार 02 पर्यवेक्षकों, 20 कुशल माली और 25 का समर्थन श्रम को तैनात करेगा और किसी भी दिन पर कमी के मामले में, कटौती बोली में ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर के बारबर किया जायेगा।

15. एक पानी का टैंकर हर समय उपलब्ध करवाना होगा अपितु रूपये 500/— प्रति दिन के हिसाब से ठेकेदार के मासिक बिल से कटौती की जाएगी।
16. ठेकेदार हर छः महीने के बाद पर्याप्त खाद/उर्वरक प्रदान करेगा। खाद/कीटनाशक इत्यादि की कमी के मामले में रूपये 50,000/— की हर छः महीने के बाद कटौती की जायेगी।
17. सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर मालियों और सपोर्टिंग श्रमिक की उपस्थिति के अनुसार मासिक बिल के तहत ही भुगतान किया जायेगा।
18. मौसम के अनुसार गर्मी/सर्दी में कम से कम 4 प्रकार के लॉन/पार्क की सभी क्यारियों में विकसित किया जायेगा, विफलता के मामले में, कार्यालय द्वारा मार्केट से ठेकेदार के कीमत के अनुसार खरीदा जायेगा।
19. रखरखाव कार्य ठीक से न किये जाने पर या असंतुष्ट मामले में विकास आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसईजेडए द्वारा लगाए गये दंड को उनके मासिक बिल से कटौती की जाएगी।
20. अनुबंध शुरूआतीतौर पर 1 वर्ष के लिए दिया जायेगा, यदि सीईओ, एनएसईजेडए ठेकेदार की सेवाओं के मूल्यांकन के बाद संतोषजनक पाये जाने पर, आगे 2 वर्ष के लिए निर्धारित रेट, शर्त एवं नियम के आधार पर बढ़ाया जा सकता है तथा नियम ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। 30 दिनों के लिखित नोटिस देने पर अनुबंध को पूर्ण रूपसे, किसी भी समय, बिना कारण बताए सेवाएं समाप्त करने का अधिकार है। ठेकेदार ऐसी समाप्ति पर किसी भी मुआवजे के लिए हकदार नहीं होगा।
21. (टीएंडपी) की जरूरतों (जैसेकि ट्रेक्टर, ट्रॉली, पानी टैंकर, टूल्स, फिक्सरस इत्यादि) को उपलब्ध करवाना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
22. ठेकेदार शनिवार, रविवार की छुट्टी सहित (यदि जरूरत है) सेवाएं उपलब्ध करवायेगा और इसका कोई भी अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा। ठेकेदार स्टॉफ के रहने के लिए स्वयं व्यवस्था करेगा। एनएसईजेड प्राधिकरण आवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगा।
23. ठेकेदार एनएसईजेड प्राधिकरण के पक्ष में डीडी या बैंक गारंटी के रूप में बोली लगाने के लिए दो महीने के बराबर की राशी बतौर सिक्युरिटी जमा करवायेगा। ठेकेदार द्वारा कार्य का सही निष्पादन नहीं करने की स्थिति में अनुबंध की समाप्ति के मामले में सिक्युरिटी राशि भी जब्त कर ली जायेगी। ईएमडी की राशि को सिक्युरिटी राशि में परिवर्तित किया जायेगा।
24. अनुबंध में उल्लिखित नियम व शर्तें केवल संभावित और व्यापाक नहीं हैं। एनएसईजेड प्राधिकरण समय—समय पर पूर्वोपाय के दौरान आवश्यकतानुसार आगे विवरण जारी करेगा और इसी के अनुसार कार्य किया जायेगा।
25. ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को समय—समय पर दिए गए निर्देशें के अनुसार वर्तमान सुरक्षा नियमों/विनियमों/सावधानियों का पालन किया जायेगा। एनएसईजेड प्राधिकरण सीमाशुल्क निषेध क्षेत्र है और प्रवेश व निकास केवल मुख्य द्वार से होगा। एनएसईजेड प्राधिकरण में आने व जाने वाले माल या वाहनों की जॉच का उत्तरदायित्व एनएसईजेड सिक्युरिटी/सीमाशुल्क स्टॉफ का होगा।
26. ठेकेदार के कारण किसी भी कदाचार के मामले में, सीईओ द्वारा लिये गए निर्णयनुसर दंडित किय जायेगा।
27. एनएसईजेड प्राधिकरण द्वारा कोई भी उपकरण, मशीन या परिवहन उपलब्ध करवाया जायेगा।

28. अगर निविदाकार (बाद में बुलाये गए ठेकेदार) समझौते के तहत हस्ताक्षर नहीं करता है या सिक्युरिटी राशि 10 दिनों के भीतर जमा करने में विफल होता है तो, सफल बोलीदाता की बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।
29. एनएसईजेड प्राधिकरण किसी भी प्राप्त निवेदकार या जिसको कार्य आबंटन किया गया हो या उससे अधिक ठेकेदारो को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार है।
30. ठेकेदार किसी भी तरह से दोषी करार नहीं किया गया हो और औपचारिकतौर पर भ्रष्टाचार/अपराध में लिप्त न हो।
31. संबंधित अनुबंध के संदर्भ में ठेकेदार रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार या अन्य किसी रूप में सहारा नहीं लिया गया हो।
32. इस धारा के तहत आपूर्तिकर्त्ता द्वारा गलत सूचना देने पर एनएसईजेड प्राधिकरण को बिना शर्त अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।
33. ठेकेदार पूरी तरह से साफ–सफाई रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ठेकेदार एनएसईजेड प्रशासन के निर्देशानुसार एनएसईजेड कॉम्पलैक्स की बागवानी एवं संरक्षण का पूरा कार्य ले सकता है।
34. ठेकेदार रूपये 100/– के गैर–न्यायाकि स्टाम्प पेपर पर नियम व शर्तो के संबंध में समझौते पर अमल करेगा।

इच्छुक कंपनियां/फर्म/व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे के मध्य क्षेत्र का निरीक्षण कर सकते हैं। इस मामले में आगे किसी भी तरह का स्पष्टीकरण श्री आर0 पी0 वर्मा, सचिव, एनएसईजेड, प्राधिकरण के दूरभाष संख्या 0120–3021444–46 पर प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा निर्धारित ई–टेंडरिंग मॉड्यूल के माध्यम से अपराह्न 03:00 बजे तक या 21.09.2015 से पहले अपलोड किया जा सकता है। निविदाओं को उसी दिन 3:30 बजे खोला जायेगा। सभी बोलीदाता नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सभागार कक्ष में निविदा समिति के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहिए। निविदाओं के खोलने की तारीख और समय में परिवर्तन के मामले में सभी बोलीदाताओं को हमारी वैबसाईट के माध्यम से ही सूचित किया जायेगा।

(आर0 पी0 वर्मा)
सचिव